न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 06/2022

हंसराम पुत्र चतरू उम्र 75 वर्ष, पेशा खेती, जाति जाट निवासी नीम की ढाणी पटवार हल्का बामलास, तहसील गुढा गौड़जी जिला झुंझुनू।

—अपीलार्थी

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनू।
2. तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

— रेस्पोडेन्ट

अपील अं0धारा 75 (1) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 विरूद्ध आदेश दिनांकित 29.12.2021 न्यायालय तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिसके द्वारा योग्य अदालत तहसीलदार गुढा गौड़जी में इंतकाल संख्या 378 दिनांकित 11.11.2021 बाबत भूमि खसरा नंबर 691 रकबा 3.46 हैक्टर, खसरा नंबर 692 रकबा 3.22 हैक्टर ग्राम वाके नीम की ढाणी तहसील गुढा गौड़जी जिला झुंझुनू का नामांतरकरण बहक अपीलांट खारिज कर दिया ।

उपस्थितिः—

1. श्री विजयपाल सिंह, एडवोकेट—————————अपीलांट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,राजकीय अभिभाषक ———रेस्पोडेंट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 31.5.2022

उक्त अपील विरूद्ध अपील विरूद्ध आदेश दिनांकित 29.12.2021 न्यायालय तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिसके द्वारा योग्य अदालत तहसीलदार गुढा गौड़जी में इंतकाल संख्या 378 दिनांकित 11.11.2021 बाबत भूमि खसरा नंबर 691 रकबा 3.46 हैक्टर, खसरा नंबर 692 रकबा 3.22 हैक्टर ग्राम वाके नीम की ढाणी तहसील गुढा गौड़जी नामांतरकरण बहक अपीलांट खारिज करने के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को श्योलाल पुत्र पेमा ने भूमि खसरा नंबर 691 रकबा 3.46 हैक्टर, खसरा नंबर 692 रकबा 3.22 हैक्टर कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:49:50 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

किता 2 कुल क्षेत्रफल 6.68 हैक्टर वाके ग्राम नीम की ढाणी तहसील गुढा गौड़जी का रजिस्टर्ड दान पत्र बहक अपीलांट दिनांक 20.8.1973 को अपनी सेवा सुश्रुषा व प्यार व स्नेह से प्रभावित होकर अपनी खातेदारी काश्त की आराजियात हाल खसरा नंबर 691 रकबा 3.46 हैक्टर खसरा नंबर खसरा नंबर 692 रकबा 3.22 हैक्टर किता 2 कुल क्षेत्रफल 6.68 हैक्टर वाके ग्राम नीम की ढाणी तहसील गुढागौड़जी का हिस्सा 1/4 का बहक अपीलांट जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांकित 28.8.1973 के द्वारा दे दी गई। जिसका दान पत्र बहक अपीलांट उक्त दानकर्ता श्योलाल पुत्र पेमा निवासी नीम की ढाणी ने विधिवत रजिस्टर्ड दान पत्र लिखवाकर व मुकम्मल कर सब रजिस्ट्रार उदयपुरवाटी के समक्ष पेश होकर उक्त दान पत्र को बहक अपीलांट मुकम्मल किया जाना स्वीकार किया तथा इसी प्रकार से अपीलांट ने उक्त दान पत्र को उप पंजीयक अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष पंजीबद्ध करवाया गया। उपरोक्त आराजीयात में हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार अपीलांट हो गया और 1/4 हिस्से का नामान्तरकरण योग्य अदालत मातहत को बहक अपीलांट मंजूर किया जाना चाहिए था क्यों कि उक्त नामांतरकरण विधिवत दानकर्ता ने अपीलांट को अपनी खातेदारी काश्त की आराजियात का विधिवत निष्पादित करवाया है जिसके बाबत योग्य अदालत मातहत द्वारा इन्तकाल मंजूर किये जाने से कानूनन इन्कार नहीं किया जा सकता और ना ही कोई माकुल कारण तहसीलदार गुढागौड़जी ने अपने निर्णय दिनांक 29.12.2021 में दर्ज किया है, इसलिए उक्त आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील मंजूर की जाकर योग्य अदालत मातहत तहसीलदार गुढागोड़जी के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 29.12.2021 को निरस्त फरमाकर अपीलांट को उपरोक्त आराजियात के 1/4 हिस्से का इन्तकाल बहक अपीलांट स्वीकार किये जाने का आदेश फरमावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि:– 2021 न्यायालय तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी [illegible] तहसीलदार गुढा गौड़जी में इंतकाल संख्या 378 दिनांकित 29.12.2021 [illegible] 691 रकबा 3.46 हैक्टर, खसरा नंबर 692 रकबा 3.22 हैक्टर ग्राम वाके [illegible] गौड़जी नामांतरकरण बहक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:49:50 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

अपीलांट खारिज करने के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट को श्योलाल पुत्र पेमा ने भूमि खसरा नंबर 691 रकबा 3.46 हैक्टर, खसरा नंबर 692 रकबा 3.22 हैक्टर कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 6.68 हैक्टर वाके ग्राम नीम की ढाणी तहसील गुढा गौड़जी का रजिस्टर्ड दान पत्र बहक अपीलांट दिनांक 20.8.1973 को अपनी सेवा सुश्रुषा व प्यार व स्नेह से प्रभावित होकर अपनी खातेदारी काश्त की आराजियात हाल खसरा नंबर 691 रकबा 3.46 हैक्टर खसरा नंबर खसरा नंबर 692 रकबा 3.22 हैक्टर किता 2 कुल क्षेत्रफल 6.68 हैक्टर वाके ग्राम नीम की ढाणी तहसील गुढागौड़जी का हिस्सा 1/4 का बहक अपीलांट जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 28.8.1973 के द्वारा दे दी गई। जिसका दान पत्र बहक अपीलांट उक्त दानकर्ता श्योलाल पुत्र पेमा निवासी नीम की ढाणी ने विधिवत रजिस्टर्ड दान पत्र लिखवाकर व मुकम्मल कर सब रजिस्ट्रार उदयपुरवाटी के समक्ष पेश होकर उक्त दान पत्र को बहक अपीलांट मुकम्मल किया जाना स्वीकार किया तथा इसी प्रकार से अपीलांट ने उक्त दान पत्र को उप पंजीयक अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष पंजीबद्ध करवाया गया। उपरोक्त आराजीयात में हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार अपीलांट हो गया और 1/4 हिस्से का नामान्तरकरण योग्य अदालत मातहत को अपीलांट के पक्ष में मंजूर किया जाना चाहिए था क्यों कि उक्त नामांतरकरण विधिवत दानकर्ता ने अपीलांट को अपनी खातेदारी काश्त की आराजियात का विधिवत निष्पादित करवाया है जिसके बाबत योग्य अदालत मातहत द्वारा इन्तकाल मंजूर किये जाने से कानूनन इन्कार नहीं किया जा सकता और ना ही कोई माकुल कारण तहसीलदार गुढागौड़जी ने अपने निर्णय दिनांक 29.12.2021 में दर्ज किया है, इसलिए उक्त आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील मंजूर की जाकर योग्य अदालत मातहत तहसीलदार गुढागोड़जी के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 29.12.2021 को निरस्त फरमाकर अपीलांट को उपरोक्त आराजियात के 1/4 हिस्से का इन्तकाल बहक अपीलांट स्वीकार किये जाने का आदेश फरमावें।

दौराने बहस राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि उक्त दानपत्र वर्ष 1973 का काफी पुराना है। तहसीलदार द्वारा इंतकाल संख्या 378 दिनांकित 29.12.2.2021 के संबंध में की गई कार्यवाही विधिसम्मत है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:49:50 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी के समक्ष नामांतरण संख्या 378 के संबंध में रजिस्टर्ड दान पत्र प्रस्तुत हुआ है। किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज को समयावधि के आधार पर उसकी वैद्यता को नकारा नहीं जा सकता। उक्त नामांतरण संख्या 378 दिनांक 29.12.2021 को निरस्त करने का तहसीलदार गुढा गौड़ द्वारा कोई विधिक आधार दर्ज नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 378 ग्राम नीम की ढाणी दिनांक 11.11.2021 के संबंध में किये गये निर्णय दिनांक 29.12.2021 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार गुढागोड़जी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उक्त रजिस्टर्ड दान–पत्र के आधार पर अपीलांट के हक में नामांतरकरण तस्दीक की कार्यवाही की जाकर उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.5.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.5.2022
अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:49:50 IST
Reason: SelfAttested